न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

थम अपील संख्या 133/2020

रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (निर्वा0 रजि0 पदाधिकारी, एस0डी0एम0) चिडावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.12.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 133/2020 पर दिनांक 25.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (निर्वा0 रजि0 पदाधिकारी, एस0डी0एम0) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (निर्वा0 रजि0 पदाधिकारी, एस0डी0एम0) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुन से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2062–2063 दिनांक 25.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (निर्वा0 रजि0 पदाधिकारी, एस0डी0एम0) चिडावा ने पत्रांक चुनाव/2020/1047 दिनांक 16.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा द्वारा चाही गई उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 260–61 दिनांक 27.03.2020 एवं 3167 दिनांक 23.11.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (निर्वा0 रजि0 पदाधिकारी, एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पत्रांक चुनाव/2020/1047 दिनांक 16.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा द्वारा चाही गई उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 260–61 दिनांक 27.03.2020 एवं 3167 दिनांक 23.11.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं